

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,  
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2**

**लखनऊ: दिनांक 21 अप्रैल, 2017**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी तेजई उर्फ तेज बहादुर पुत्र श्री चन्द्रभान सिंह निवासी जनपद-अम्बेडकरनगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोवेशन-3(एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी तेजई उर्फ तेज बहादुर पुत्र श्री चन्द्रभान सिंह, निवासी ग्राम-घुरहपुर, थाना-मालीपुर, जनपद-अम्बेडकर नगर का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 17.07.1999 को दोपहर लगभग 12:45 बजे रामशब्द वर्मा की किराने की दुकान के सामने 1000/- की मांग पूरी न होने के कारण विपक्षी संग्राम की कट्टे से फायर कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-758/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, फैजाबाद के आदेश दिनांक 11.06.2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी के 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है तथा 01 सहअभियुक्त जमानत पर रिहा हो चुका है। बन्दी द्वारा दिनांक 04.08.2015 तक 16 वर्ष 00 माह 13 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 09 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर ने बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने का अवसर होने, बन्दी पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोवेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा रुपये की मांग पूरी न होने के कारण 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर विपक्षी संग्राम की कट्टे से फायर कर जघन्य हत्या करने का अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 43 वर्ष है। बन्दी शारीरिक रूप से स्वस्थ है, भविष्य में पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं है। इसकी पुष्टि जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकर नगर द्वारा अपनी 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी तेजई उर्फ तेज बहादुर पुत्र श्री चन्द्रभान सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी तेजई उर्फ तेज बहादुर (बन्दी संख्या-46766) श्री चन्द्रभान सिंह निवासी जनपद-अम्बेडकरनगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपसन्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

संयुक्त सचिव।

संख्या-315/2017/2139(1)/22-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर।
- 2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
- 3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

संयुक्त सचिव।

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी तेजई उर्फ तेज बहादुर पुत्र श्री चन्द्रभान सिंह, निवासी ग्राम-घुरहूपुर, थाना-मालीपुर, जनपद-अम्बेडकर नगर का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 17.07.1999 को दोपहर लगभग 12:45 बजे रामशब्द वर्मा की किराने की दुकान के सामने 1000/- की मांग पूरी न होने के कारण विपक्षी संग्राम की कट्टे से फायर कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-758/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 पंचम अघर सत्र न्यायाधीश, फैजाबाद के आदेश दिनांक 11.06.2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी के 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है तथा 01 सहअभियुक्त जमानत पर रिहा हो चुका है। बन्दी द्वारा दिनांक 04.08.2015 तक 16 वर्ष 00 माह 13 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 09 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर ने बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने का अवसर होने, बन्दी पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा रुपये की मांग पूरी न होने के कारण 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर विपक्षी संग्राम की कट्टे से फायर कर जघन्य हत्या करने का अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु 43 वर्ष है। बन्दी शारीरिक रूप से स्वस्थ है, भविष्य में पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं है। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकर नगर द्वारा अपनी 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी तेजई उर्फ तेज बहादुर पुत्र श्री चन्द्रभान सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

संयुक्त सचिव।